

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

'बीमा भवन' जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर-302016


क्रमांक :- एफ.93/पार्ट-3/कम्प/ऑनलाईन प्रोसेस/2021/270-320

दिनांक 18-05-22

परिपत्र

विभागीय जिला कार्यालयों द्वारा राज्य कार्मिकों के ऑनलाइन जीपीएफ एवं राज्य बीमा क्लेम के निस्तारण हेतु संबंधित दावेदार से दस्तावेज (जीपीएफ पासबुक/बीमा रिकॉर्ड बुक) की ऑनलाइन डाटा देखे बिना मांग की जाती है तथा उक्त दस्तावेजों के अभाव में क्लेम को निरस्त कर दिया जाता है। उक्त कारण से क्लेम के भुगतान में विलम्ब होता है, जो कि अनुचित है।

अतः यह निर्देशित किया जाता है कि ऐसे समस्त प्रकरणों में ऑनलाइन उपलब्ध राशि का तुरन्त भुगतान किया जाये तथा शेष राशियों, जिनके लिए दस्तावेजों की आवश्यकता हों, दावेदार से संपर्क स्थापित करके दास्तावेजों की मांग की जानी चाहिए। जिससे मृतक के आश्रितों को शीघ्र राहत प्रदान की जा सके।



(योगमित्र दिनकर)
अतिरिक्त निदेशक, सिस्टम्स

क्रमांक :- एफ.93/पार्ट-3/कम्प/ऑनलाईन प्रोसेस/2021/270-320

दिनांक 18-05-22

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
2. वरिष्ठ अतिरिक्त/अतिरिक्त निदेशक, बीमा/पीएफ, राज्य बीमा एवं प्राणि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, समस्त संभाग कार्यालय।
4. सहायक/उप/संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, समस्त जिला कार्यालय
5. सिस्टम एनालिस्ट, राज्य बीमा एवं प्राणि विभाग, मुख्यालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


अतिरिक्त निदेशक, सिस्टम्स